मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 एक प्रगतिशील कानून है जो कि:

- एचआईवी के साथ जीने वाले लोगों के मानवाधिकारों, संवैधानिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करता है।
- 10 सितम्बर, 2018 से देश में लागू हुआ है।
- मध्यप्रदेश में राज्य स्तर पर "एच.आई.वी-एड्स प्रिवेंशन एंड कण्ट्रोल एक्ट" के अंतर्गत लोकपाल (ओम्बड्समैन) की जानकारी :

परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

पता:- द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन
1 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2559629
ई-मेल: mpsacs@gmail.com
वेबसाइट : http://www.mpsacsb.org
http://www.ombudsman-mpsacs.com

- जिला शिकायत अधिकारी - जिला स्तर पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन जिला शिकायत अधिकारी हैं।

उल्लंघन

- एचआईवी सम्बंधित भेदभाव, नफरत या किसी भी तरह की हिंसा का प्रचार
- लोकपाल के आदेशों का पालन ना करना
- कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता का विच्छेद

₹ जुर्माना

- तीन महीने से दो साल तक का कारावास और 1,00,000 तक जुर्माना या फिर दोनों
- 10,000 तक जुर्माना और आगे उल्लंघन करने पर प्रति दिन 5000
- 1,00,000 तक जुर्माना

अधिक जानकारी के लिए 1097 डायल करें।

आपका नाम और जानकारी गुप्त
रखी जाएगी

AIDS Helpline 1097
जानें समझें, जुग-जुग जीयें

NACO | USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE | PEPFAR | LINKAGES Across the Continuum of HIV Services for Key Populations | fhi360 THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES

एचआईवी/एड्स Act 2017 के बारे में जाना क्या?

खुल के जिया क्या

MPSACS

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

एचआईवी स्टेटस का खुलासा–

यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि किसी भी इंसान के एचआईवी स्टेटस से जुड़ी सारी जानकारी को गुप्त रखा जाये। साथ ही:

01 किसी भी एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्ति को अपने स्टेटस का खुलासा करने,

02 अथवा अन्य एचआईवी सम्बंधित सूचना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सके*

(*जब तक कोर्ट आदेश ना दे कि ऐसी सूचना का खुलासा करना न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी है।)

शिकायत निवारण

यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि एचआईवी के साथ जीने वाले लोगों की (भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुडी) शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति ज़रूरी है। साथ ही:

01 हर संस्थान, जहाँ 100 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां एक कंप्लेंट ऑफिसर

02 हर स्वास्थ्य संस्थान, जहाँ 20 या अधिक लोग काम करते हैं, वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होगा।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

जांच एवं चिकित्सा पूर्व सहमति–

यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि किसी भी इंसान की एचआईवी जांच से पहले उनकी सूचित सहमति लेना ज़रूरी है। साथ ही ध्यान रखा जाए कि किसी भी इंसान की:

01 एचआईवी जांच से पहले और बाद में काउंसलिंग की जाए, और

02 सहमति लिए बिना उनका इलाज (या किसी भी और तरीके से मेडिकल हस्तक्षेप) नहीं किया जाए।

भेदभाव पर रोक–

यह अधिनियम किसी भी जगह या हालात में एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्तियों के साथ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव या बुरे बर्ताव पर रोक लगाता है, जैसे कि:

01 सार्वजनिक स्थान यानी स्वास्थ्य केंद्र, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज आदि जगहों पर भेदभाव

02 किराए पर घर देने, प्रोमोशन या नौकरी मिलने में भेदभाव

इसके अलावा यह अधिनियम एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्तियों के प्रति नफरत या शारीरिक हिंसा करने या इसको बढ़ावा देने वाली हरकतों पर भी रोक लगाता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:

एहतियात उन जगहों के लिए जहाँ एचआईवी संक्रमण का खतरा हो –

चूँकि एचआईवी रक्त या रक्त उत्पादों से फैलने वाला संक्रमण है, स्वास्थ्य संस्थानों में एचआईवी संक्रमण का खास खतरा बना रहता है। इसलिए यह अधिनियम ऐसे संस्थानों में एक सुरक्षित कार्य स्थल व वातावरण बनाने के लिए सुनिश्चित करता है कि एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यहाँ विशेष ध्यान रखा जाए और सावधानी बरती जाए, जैसे कि समय समय पर:

01 पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस सुनिश्चित करना

02 सावधानी के लिए ट्रेनिंग देना

03 एचआईवी से बचाव की पूरी जानकारी देना